"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई 2005—श्रावण 8, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिविल लाईन, जी. ई. रोड, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्र. 9/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2005.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 (2) (डी), 40 (सी), 42 (2, 3), 86 (1) (सी) सहपठित धारा 181 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत के मुक्त उपयोग संबंधी निम्नलिखित विनियम बनाता है.

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम 2005 कहलायेंगे.

(2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे.

2. प्रयोज्यता की सीमा

ये विनियम, मुक्त उपयोग ग्राहकों (Open Access Customers) को राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/या वितरण तंत्र के उपयोग जिसमें ऐसे तंत्र का उपयोग, अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र से संयोजन हेतु किया जाना सम्मिलित है, के लिये लागू होंगे.

3. परिभाषाएं

(1) जब तक, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में :—

''अधिनियम'' अर्थात् विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 क्र. 36) है;

''आवंटित पारेषण क्षमता'' अर्थात् वह विद्युत (मेगावाट में) जो किसी दीर्घावधिक ग्राहक को सामान्य परिस्थितियों में, राज्यान्तरिक पारेषण तंत्र के अन्त:क्षेपण और आहरण हेतु विनिर्दिष्ट बिन्दुओं के मध्य स्थानान्तरण हेतु स्वीकृत हो. अभिव्यक्ति आवंटन की व्याख्या भी तदनुसार होगी;

''संतुलन और व्यवस्थापन संहिता'' अर्थात् ऐसी संहिता, जो राज्य में ग्रिड का उपयोग करने वालों के मध्य, ऊर्जा/मांग लेखाओं के संतुलन और अधिसूचित तथा वास्तविक ऊर्जा/मांग के अंतरों के व्यवस्थापन हेतु, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;

''मंडल'' या ''छ. ग. रा. वि. मं.'' से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल है;

''आयोग'' अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग है;

''भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता'' (आई.ई.जी.सी.) अर्थात् अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (एच.) के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता ;

''छत्तीसगढ़ विद्युत ग्रिड संहिता'' अर्थात् अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (एच.) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता ;

''प्रत्यक्ष ग्राहक'' अर्थात् ऐसा व्यक्ति, जो राज्य पारेषण यूटिलिटि/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एवं/अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित अथवा संभारित तंत्र से सीधे संयोजित हो;

''अवलम्बित ग्राहक'' अर्थात् ऐसा व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष ग्राहक न हो;

''मुक्त उपयोग ग्राहक'' से तात्पर्य ऐसा ग्राहक से है जिसे उसके क्षेत्र में विद्युत प्रदाय हेतु अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से अथवा किसी उत्पादन कंपनी (केप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित) अथवा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी से, जिसने मुक्त उपयोग या तो प्राप्त किया हो या प्राप्त करने का इरादा रखता हो ;

''अन्त:क्षेपण का बिन्दु'' अर्थात् कोई संयोजन, जिसमें विद्युत पारेषण नेटवर्क या वितरण नेटवर्क में, जैसी भी स्थिति हो, विद्युत प्रवाहित की जाये;

''आहरण का बिन्दु'' अर्थात् कोई संयोजन, जिससे पारेषण नेटवर्क या वितरण नेटवर्क जैसा भी स्थिति हो, से विद्युत आहरित की जायें;

''आरक्षित पारेषण क्षमता'' अर्थात् ऐसा विद्युत स्थानांतरण (मेगावाट में), जो किसी अल्पावधिक ग्राहक को, पारेषण क्षमता की उपलब्धता के आधार पर, पारेषण तंत्र के, अंत:क्षेपण एवं आहरण हेतु विनिर्दिष्ट बिन्दुओं के मध्य स्वीकृत हो. अभिव्याकित 'पारेषण क्षमता का आरक्षण' का तात्पर्य तदनुसार होगा;

''एस.एल.डी.सी.'' अर्थात् अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य भार प्रेषण केन्द्र जो वर्तमान में भिलाई में स्थित है तथा राज्य में पारेषण तंत्र संचालन का प्रबंधन और उत्पादन तथा भार आवश्यकताओं के मध्य राज्य में समन्वय का कार्य करता है;

''राज्य'' अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य है; एवम्

''एस.टी.यू.'' अर्थात् अधिनियम की धारा 172 के अनुरूप 'राज्य पारेषण यूटिलिटि', जो वर्तमान में छ.ग.रा.वि.मं. है.

(2) इसमें प्रयुक्त अन्य सभी अभिव्यक्तियां, जो परिभाषित नहीं की गई है, परंतु अधिनियम में परिभाषित है, उनका अर्थ वही होगा जैसा अधिनियम में है. ऐसी अन्य प्रयुक्त अभिव्यक्तियां, जो इन विनियमों में और अधिनियम में अपरिभाषित हैं, परंतु संसद द्वारा पारित राज्य के विद्युत उद्योगों को लागू होने वाली किसी अन्य विधि में अथवा छ.ग.रा.वि.नि.आ. (कार्य संचालन) विनियम 2004 में परिभाषित है, उसका अर्थ वही होगा, जैसा कि उस अधिनियम या विनियम में है. उपरोक्त के अधीन यहां प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का अर्थ सामान्यत: वही होगा, जैसा कि विद्युत प्रदाय उद्योग में प्रचलित है.

4. मुक्त उपयोग हेतु अर्हता

(1) इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, ''मुक्त उपयोग ग्राहक'' एस.टी.यू. या किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के राज्यांतर्गत पारेषण तंत्र और छ.ग.रा.वि.मं. के या किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के, राज्यांतर्गत वितरण तंत्र में मुक्त उपयोग हेतु पात्र होंगे.

(2) ऐसा उपयोग, किसी मुक्त उपयोग ग्राहक को, आयोग द्वारा विनियमों के अनुसार निर्धारित किये जाने वाले प्रभारों के भुगतान की दशा में, उपयोग हेतु प्राप्त होगा.

(3) ऐसा व्यक्ति, जो शोधक्षम या दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा जिस पर, किसी पारेषण या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तीन या उससे अधिक माह का बिल का भुगतान बकाया हो, मुक्त उपयोग हेतु पात्र नहीं होगा.

5. मुक्त उपयोग के चरण

(1) संचालनीय बाध्यताओं और अन्य सुसंगत तथ्यों के अधीन मुक्त उपयोग निम्नलिखित चरणों में, निम्न समय सारिणी के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा :—

चरण (1)	मुक्त उपयोग के अधीन विद्युत पारेषण एवं व्हीलिंग हेतु अनुबंधित उपयोगकर्त्ता (2)	वह दिनांक, जिससे मुक्त उपयोग दिया जाना प्रस्तावित है (3)
I	10 मेगावाट अथवा उससे अधिक की आवश्यकता वाले उपयोगकर्त्ता	1 अप्रैल, 2006
II	5 मेगावाट या अधिक आवश्यकता वाले उपयोगकर्त्ता	1 अप्रैल, 2007
III	2 मेगावाट या अधिक आवश्यकता वाले उपयोगकर्त्ता	1 अक्टूबर, 2007
IV	1 मेगावाट या अधिक आवश्यकता वाले उपयोगकर्त्ता	1 अप्रैल, 2008

परंतु अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादकों और उपयोगकर्त्ताओं को तत्काल प्रभाव से 33 के.व्ही. या अधिक वोल्टेज स्तर पर 1 मेगावाट या उससे अधिक आवश्यकता हेतु मुक्त उपयोग सुविधा उपलब्ध की जा सकेगी.

इसी तरह केपटिव उत्पादन संयंत्र द्वारा एक मे. वा. या उससे अधिक आवश्यकता हेतु अपने केपटिव उत्पादन संयंत्र से उसके प्रयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के प्रयोजन हेतु मुक्त उपयोग की सुविधा तत्काल प्रभाव से उपलब्ध की जा सकेगी.

(2) चरण (I) के मुक्त उपयोग के प्रारंभ एवं संचालन के अनुभव के आधार पर आयोग, बाद के चरणों के लिये निर्धारित समय सारिणी को पुनरीक्षित कर सकेगा.

6. विद्यमान उपयोगकर्त्ताओं के लिए प्रावधान

(1) वे व्यक्ति, जो विद्यमान अनुबंध/संविदा के अधीन, इन विनियमों के प्रवर्तन दिनांक को राज्य में, राज्यांतर्गत पारेषण तंत्र अथवा वितरण तंत्र का उपवेग उपयोग हेतु कर रहे हैं, वे विद्यमान अनुबंध/संविदा की अवधि तक, पारेषण और वितरण तंत्र में उपयोग प्राप्त करते रहेंगे. ऐसे व्यक्ति, विद्यमान अनुबंध/संविदा की समाप्ति पर इन विनियमों के अधीन दीर्घावधिक राज्यांतरिक मुक्त उपयोग प्राप्त करने के पात्र होंगे. उन्हें ऐसे अनुबंध/संविदा की समाप्ति के कम से कम 3 दिन पूर्व, दीर्घावधिक मुक्त उपयोग श्रेणी में आने हेतु आवेदन करना होगा.

(2) इन विनियमों के लागू होने पर उनके अनुसरण में वितरण कंपनियों के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वर्तमान तथा भावी ग्राहकों के विद्युत मांग की पूर्ति के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क में मुक्त उपयोग प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें. ऐसे मामलों में विनियम क्र. 5 के प्रावधान लागू नहीं होंगे.

7. मुक्त उपयोग ग्राहकों का वर्गीकरण

(1) मुक्त उपयोग ग्राहकों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जावेगा :—

(ए) **दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक :**— वह मुक्त उपयोग ग्राहक, जो पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए मुक्त उपयोग प्राप्त करता है, वह दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक होगा.

(बी) **अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक :**—वह मुक्त उपयोग ग्राहक, जो एक वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए मुक्त उपयोग प्राप्त करता है, वह अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक होगा.

(2) अल्पावधिक ग्राहक, अपने अनुबंध की समाप्ति के पश्चात्, मुक्त उपयोग के नवीनीकरण हेतु पात्र होगा. ऐसे नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन नये आवेदन की तरह माना जायेगा.

(3) नोडल एजेन्सी

(i) दीर्घावधिक पारेषण एवं उपयोग के व्यवस्थापन हेतु नोडल एजेन्सी, राज्य पारेषण यूटिलिटि होगा, यदि इसके तंत्र का उपयोग किया जाये अन्यथा नोडल एजेन्सी, वह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी होगा, जिसके तंत्र में आहरण बिन्दु होगा.

(ii) अल्पावधिक पारेषण और/या वितरण उपयोग हेतु नोडल एजेन्सी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र होगा.

8. आवंटन में प्राथमिकता

(1) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को दीर्घावधिक अथवा अल्पावधिक मुक्त उपयोग क्षमता आवंटन में सर्वोपरि प्राथमिकता दी जायेगी.

(2) किसी दीर्घावधिक ग्राहक की आवंटन प्राथमिकता किसी अल्पावधिक ग्राहक से उच्चतर होगी.

(3) संबंधित वर्ग में वर्तमान मुक्त उपयोग ग्राहक को नये ग्राहकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जायेगी.

(4) उपरोक्त खण्डों के अध्याधीन मुक्त उपयोग स्वीकार करने का निर्णय 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत अथवा बोली के आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, आधारित होगा.

9. **मुक्त उपयोग की अनुमति हेतु मानदण्ड**

(1) अंतर संयोजन का वोल्टेज, छत्तीसगढ़ विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के अनुसार होगा.

(2) दीर्घावधिक उपयोग, छत्तीसगढ़ विद्युत ग्रिड संहिता में उपबंधित पारेषण नियोजन मापदण्डों और छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण संहिता में उपबंधित वितरण नियोजन क्षमता के अनुरूप, जैसा कि आयोग द्वारा बनाया जावे, स्वीकार किया जायेगा.

(3) अल्पावधिक उपयोग तभी स्वीकार किया जायेगा, यदि आवेदन, निम्नलिखित का उपयोग करते हुए समायोजित किया जा सके :—

(i) तंत्र की डिजाइन में आंतरिक गुंजाइश.

(ii) विद्युत प्रवाह में उतार चढ़ाव के कारण उपलब्ध अंतर.

(iii) पारेषण और/या वितरण तंत्र में भावी भार वर्धन प्रबंध हेतु तैयार की गई अंतर्निर्मित अतिरिक्त क्षमता के कारण गुंजाइश.

10. **मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध क्षमता की गणना**

(1) राज्यान्तरिक मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध क्षमता की गणना, प्रत्येक पारेषण मार्ग तथा प्रत्येक उपकेन्द्र के लिए एस.टी.यू. द्वारा निम्नलिखित पद्धति से की जायेगी :—

(ए) पारेषण तंत्र के किसी खण्ड के लिए उपलब्ध मुक्त उपयोग क्षमता = (डी.सी.—एस.डी.—ए.सी.)+एन.सी.

जहां :—डी.सी. = पारेषण खण्ड की मेगावॉट में विनिर्दिष्ट क्षमता,

एस.डी. = उक्त खण्ड में अभिलेखित जारी मांग (मेगावॉट में),

ए.सी. = पहले से ही आवंटित क्षमता, जो प्राप्त न की गई हो,

एन.सी. = बढ़ाने हेतु मेगावॉट में अनुमानित क्षमता है, प्रणाली सुधार या क्षमता बढ़ाना.

(बी) किसी उपकेन्द्र की उपलब्ध मुक्त अभिगन क्षमता = टी.सी.—एस.पी.—ए.सी., जहां टीसी उपकेन्द्र के परिवर्तक (ट्रांसफार्मर) की क्षमता (एम.व्ही.ए. में);

एस.पी.= एम.व्ही.ए. में उपकेन्द्र की चरम सीमा;

ए.सी.= एम.व्ही.ए. में पहले से ही आवंटित क्षमता, जो उपयोग न की गई हो.

एस.टी.यू. उपरोक्त (ए) तथा (बी) में दिये गये मूल्यों (मानों) को मासिक आधार पर प्रत्येक कैलेण्डर माह की पहली तारीख को अद्यतन करते हुए उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा.

(2) संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण तंत्र के उस हिस्से की, जिसमें से मुक्त उपयोग चाही गई हो, उपलब्ध क्षमता का निर्धारण करेगा.

11. **मुक्त उपयोग हेतु प्रभार**

मुक्त उपयोग उपलब्ध कराने वाला अनुज्ञप्तिधारी केवल ऐसे शुल्क व प्रभार ही ले सकेगा, जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये. प्रभारों के निर्धारण के सिद्धांत निम्नानुसार होंगे :—

(1) **पारेषण प्रभार** :— एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण तंत्र का उपयोग राज्यान्तरिक पारेषण हेतु किये जाने पर पारेषण प्रभार निम्नानुसार विनियमित होगा :—

(ए) किसी दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु देय पारेषण प्रभार, आयोग द्वारा यथा निर्धारित टैरिफ आदेश के अनुसार होंगे. ये प्रभार दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों द्वारा आनुपातिक रूप से वहन किये जायेंगे.

(बी) किसी अल्पावधिक ग्राहक द्वारा राज्यान्तरिक पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु देय पारेषण प्रभारों की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जायेगी :—

एस.टी. दर = 0.25 × (टी.एस.सी./ए.व्ही., सी.ए.पी.)/365

जहां—एस.टी. दर = अल्पावधिक ग्राहकों के लिए रुपये प्रति मेगावॉट/प्रतिदिन की दर, टी.एस.सी. से तात्पर्य उस वार्षिक पारेषण प्रभारों अथवा वार्षिक राजस्व आवश्यकता से है, जो, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए आयोग ने निर्धारित किये हों.

''ए.व्ही.सी.ए.पी.'' अर्थात् M.W. में वह औसत क्षमता, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के राज्यान्तरिक पारेषण तंत्र द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई हो और पारेषण तंत्र से संयोजित उत्पादन क्षमताओं एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र द्वारा संचालित अन्य दीर्घावधिक कार्यों की अनुबंधित क्षमताओं का योग होगी.

(i) पारेषण गलियारे घने न होने की दशा में, किसी अल्पावधिक ग्राहक द्वारा देय पारेषण प्रभार किसी एक संवर्ग में 24 घंटे तक या एक दिन में उसके किसी भाग के लिए उद्‌गृहीत किये जायेंगे, जो एस.टी. दर के बराबर होंगे.

(ii) अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों से इस प्रकार अर्जित आमदनी का 20%, दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों के पारेषण प्रभार घटाने हेतु उपयोग में लाया जायेगा. शेष 75%, आमदनी एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधोसंरचना के विकास हेतु पूंजीगत व्यय के लिये रखी जायेगी. एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अल्पावधिक ग्राहकों से प्राप्त आमदनी हेतु पृथक खाता बनाये रखेगा और अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप किसी पूंजीगत निर्माण हेतु व्यय के पूर्व आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा.

(2) **व्हीलिंग प्रभार** :—किसी अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तंत्र के उपयोग के लिये व्हीलिंग प्रभार निम्नानुसार विनियमित होगा :—

(ए) किसी दीर्घावधिक ग्राहक द्वारा वितरण तंत्र के उपयोग हेतु देय व्हीलिंग प्रभार, आयोग द्वारा, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-61 के अधीन आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी. यह प्रभार, दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों द्वारा आनुपातिक रूप से वहन किया जायेगा.

(i) किस अल्पावधिक ग्राहक द्वारा, वितरण तंत्र के उपयोग हेतु देय व्हीलिंग प्रभार, उतना ही होगा, जितना कि दीर्घावधिक ग्राहक द्वारा देय होता है. किसी वितरण तंत्र के मामले में अल्पावधिक ग्राहक द्वारा देय व्हीलिंग प्रभार किसी एक संवर्ग में एक दिन में 24 घंटे तक अथवा उसके किसी भाग के लिए लिया जायेगा, जो व्हीलिंग प्रभार के बराबर होगा.

(ii) अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों से इस प्रकार अर्जित आमदनी का 50% दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों के व्हीलिंग प्रभार को कम करने हेतु उपयोग में लाया जायेगा. शेष 50% आमदनी उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, जिसके क्षेत्र में आहरण बिन्दु स्थित हो, अधोसंरचना के विकास हेतु पूंजीगत व्यय के लिये रखा जायेगा. वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अल्पावधिक से अर्जित आमदनी हेतु पृथक खाता बनाये रखेगा और किसी प्रकार का पूंजीगत व्यय करने के पूर्व, अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा.

(3) **संचालन प्रभार :—**

(ए) एस.एल.डी.सी. के शुल्कों एवं प्रभारों के उद्ग्रहण हेतु आयोग द्वारा यथा निर्मित विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित शेड्यूलिंग (Scheduling) तथा तंत्र संचालन प्रभारों का भुगतान दीर्घावधिक मुक्त उपयोग राज्यभार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) को करेगा.

(बी) आयोग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित संचालन प्रभार, अल्पावधिक ग्राहक द्वारा एस.एल.डी.सी. को देय होगा.

टीप :— संचालन प्रभार में, शेड्यूलिंग (Scheduling) तथा तंत्र संचालन के शुल्क, सदभावी कारणों से अधिसूचित पुनरीक्षणों को प्रभावित करने हेतु शुल्क और संग्रहण तथा वितरण प्रभार सम्मिलित है.

(सी) अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों से संग्रहित सेवा शुल्कों का 50%, एस.एल.डी.सी. द्वारा, अधोसरंचना के विकास हेतु पूंजीगत व्यय में रखा जायेगा. एस.एल.डी.सी., अल्पावधिक ग्राहकों से प्राप्त आमदनी हेतु पृथक खाता बनाये रखेगा और किसी पूंजीगत व्यय करने के पूर्व आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा. शेष 50% दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों द्वारा देय प्रभारों में समायोजित किया जायेगा.

(4) **असंतुलन (यू. आई.) प्रभार :—**

(ए) आरहण बिन्दु(ओं) पर अभिसूचित एवं वास्तव में आहरित और अत:क्षेपण बिन्दु(ओं) पर अभिसूचित एवं वास्तव में अंत:क्षेपित विद्युत में असमानता की पूर्ति ग्रीड से की जायेगी और यह राज्यान्तरिक संव्यवहार पर लागू होने वाली संतुलन और समाधान संहिता से अभिशासित की जायेगी.

(बी) मुक्त उपयोग ग्राहकों को असंतुलन प्रभारों के लिए एक पृथक देयक जारी किया जायेगा.

(5) **प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार :—**

(ए) प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं द्वारा, मुक्त उपयोग के खाते में संदत्त तथा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों की गणना, आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित राज्यांतरिक पारेषण सहित उन संव्यवहारों को लागू होने वाली योजना के अनुरूप की जायेगी.

(बी) अविलंवित ग्राहक द्वारा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा का आहरण एवं अंत:क्षेपण, उन विनियमों द्वारा अभिशासित होगा, जैसे कि संबंधित राज्य में लागू हों.

(6) **अधिभार :—**

(ए) आयोग, व्यक्तिगत वर्गों के ग्राहकों के लिए पृथक से प्रतिसहायता अधिभार विनिर्दिष्ट करेगा.

(बी) प्रतिसहायता अधिभार निर्धारित करने हेतु नियम व प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

(i) प्रत्येक मुक्त उपयोग ग्राहक, जो इन विनियमों के अनुसार मुक्त उपयोग द्वारा विद्युत आपूर्ति की इच्छा रखता हो, ऐसे प्रति सहायता अधिभार के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये.

(ii) ऐसा अधिभार, टैरिफ वर्ग/टैरिफ खण्ड और/या उस वोल्टेज स्तर, जिससे ऐसे मुक्त उपयोग ग्राहक सम्बद्ध या संयोजित होंगे, जैसी भी स्थिति हों के वर्तमान स्तर पर आधारित होगा. यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत की आपूर्ति की हो, तो ग्राहक के संबंधित संवर्ग पर लागू होने वाली टैरिफ दर और ऐसी आपूर्ति पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की गई लागत के अंतर के आधार पर इसकी परिगणना की जायेगी.

परंतु यह कि ऐसा अधिभार, उद्ग्रहण योग्य नहीं होगा, यदि उपलब्ध कराया गया मुक्त उपयोग ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया हो, जिसने अपना कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया हो और उसे अपने स्वयं के उपयोग हेतु गन्तव्य तक विद्युत ले जाने के लिए उपलब्ध कराया गया हो.

(7) **अतिरिक्त अधिभार :—** आयोग, अधिनियम की धारा 42 (4) के अध्यधीन वार्षिक आधार पर अतिरिक्त अधिभार निर्धारित करेगा.

(8) **अन्तर संयोजन प्रभार :—**ऐसे मुक्त उपयोग ग्राहक, जो अपने उत्पादकों और भागों के लिए ग्रिड के साथ अंतर संयोजन करना चाहते हों, उन्हें ऐसे अंतर संयोजन प्रभार को भुगतान करना होगा, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये.

(9) **संयोजकता प्रभार :—**मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा, ग्रिड से संयोजन प्राप्त करने हेतु ऐसा एकल संयोजकता प्रभार देय होगा, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये.

(10) कोई अन्य प्रभार, नगद या किसी अन्य रीति से मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा देय होंगे, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये.

(11) उस मामले में जहां कोई मुक्त उपयोग ग्राहक, अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र और क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा किसी अन्य राज्य के राज्य भार प्रेषण केन्द्र का उपयोग करता है, तो उसे इन विनियमों के अधीन निर्धारित प्रभारों के अतिरिक्त केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटि और अन्य राज्य के राज्य पारेषण केन्द्र तथा अन्य राज्य के राज्य भार प्रेषण केन्द्र के सेवा प्रभारों का भुगतान भी करना होगा.

12. सभी मुक्त उपयोग उपयोगकर्त्ता, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयत्न करेगा कि उनकी वास्तविक मांग या वास्तविक प्रेषण क्षमता, जैसी भी स्थिति हो, किसी अंतर संयोजन में अनुबंधित अधिकतम मांग और उस अन्तर संयोजन की वास्तविक प्रेषण क्षमता की सीमा न लांघे.

परंतु यह कि उपयोग अनुबंधों से संबंधित सभी प्रवेश तथा निकासी के बिन्दुओं पर ऊर्जा तथा मांग के संतुलन और व्यवस्थापन को पूरा करने के लिए, अनुज्ञप्तिधारी, समय-समय पर यथा संशोधित, संतुलन और व्यवस्थापन संहिता का कठोरतापूर्वक पालन करेगा.

परंतु यह और कि जब तक आयोग द्वारा संतुलन और व्यवस्थापन संहिता अनुमोदित नहीं कर दी जाती, तब तक वर्तमान अनुबंधों में ऊर्जा तथा मांग के संतुलन हेतु प्रवाधित निबंधनें एवं शर्तें लागू रहेंगे.

13. **मुक्त उपयोग प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया**

(1) **दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों के लिए प्रक्रिया**

(ए) दीर्घावधिक मुक्त उपयोग के लिए आवेदन, एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष, किसी उपयोग ग्राहक द्वारा (अनुबंध/आपूर्तिकर्त्ता को प्रतिवद्धता/अंतिम लाभग्राही के विवरण सहित) प्रस्तुत किया जायेगा. आवेदन में, आवश्यक क्षमता, अंत:क्षेपण के बिन्दु, आहरण के बिन्दु, मुक्त उपयोग प्राप्त करने की अवधि, चरम भार, औसत भार, इन विनियमों के अनुलग्न 1 के अनुसार अन्य जानकारी और ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी, जैसी कि एस.टी.यू. द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, आदि सम्मिलित होगा. यदि चाहे गए मुक्त उपयोग का अंतिम उपयोगकर्त्ता राज्य के किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता हो, तो ऐसे ग्राहक की ओर से यह वचन कि वह इन विनियमों विभिन्न प्रभारों का उसके द्वारा किये जाने वाले भुगतान आदि से संबंधित विनियमों के अधीन निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेगा, इन विनियमों के अंतर्गत प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा. कोई ग्राहक, जो मुक्त उपयोग प्राप्त करने का आशय रखता हो, वह अपने आवेदन की एक प्रति इस मुक्त उपयोग संचालन में शामिल राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देगा.

(बी) नोड एजेन्सी, आयोग के अनुमोदन से इन विनियमों के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आवश्यक मार्गदर्शिका प्रक्रिया तथा आवेदन प्रपत्र जारी करेगा.

(सी) आवेदन पत्र के साथ रु. 5000/- का वापसी अयोग्य आवेदन पंजीकरण शुल्क एस.टी.यू. द्वारा निर्धारित तरीके से देय होगा.

(डी) अन्य पारेषण एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारियों सहित अन्य सम्मिलित एजेन्सियों के परामर्श से संचालित तंत्र के अध्ययन के आधार पर, नोडल एजेन्सी, आवेदन की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर, आवेदक को संसूचित करेगा कि दीर्घावधिक उपयोग, तंत्र को और भी सशक्त किये बिना स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं.

(ई) जहां तंत्र को और भी सशक्त किये बिना इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दीर्घावधिक मुक्त उपयोग दिया जा सकता हो, वहां व्यावसायिक अनुबंध होते ही इसे स्वीकार किया जायेगा.

(एफ) यदि नोडल एजेन्सी की राय में दीर्घावधिक उपयोग उपलब्ध कराने के पूर्व तंत्र का और सशक्तिकरण आवश्यक हो, तब आवेदक नोडल एजेन्सी तंत्र सशक्तिकरण के प्राक्कलन एवं पूर्णता हेतु सारिणी बनाने के उद्देश्य से तंत्र अध्ययन और प्रारंभिक अनुसंधान पूर्ण करने का अनुरोध कर सकेगा. आवेदक से अनुरोध प्राप्त होने पर नोडल एजेन्सी शीघ्र ही अध्ययन करेगा और अध्ययन का परिणाम अनुरोध के दिवस से भीतर सूचित करेगा. तंत्र सशक्तिकरण के अध्ययन हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा वहन किये गये व्यय की भरपायी आवेदक करेगा.

(जी) यदि किसी आवेदक को उपयोग उपलब्ध कराने हेतु नेटवर्क में वृद्धि आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी वृद्धि एक युक्तियुक्त समय में करेगा. परंतु यह कि एस.टी.यू./अनुज्ञप्तिधारी के पास ऐसे पूंजीगत व्यय हेतु वित्त व्यवस्था करने के लिए निधि संग्रहण की योग्यता होनी चाहिए और एस. टी. यू. अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा वहन की गई लागत युक्तियुक्त समयावधि के भीतर वापस प्राप्त कर सकेगा.

(एच) जहां मुक्त उपयोग हेतु एस.टी.यू./अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केवल किसी मुक्त उपयोग ग्राहक के उपयोग हेतु निर्मित समर्पित पारेषण तंत्र अथवा वितरण तंत्र का उपयोग किया जाता है, वहां अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे व्यय की मांग कर सकेगा.

(आई) संभाव्यता स्थापित होने के पश्चात् और अनुबंध के निष्पादन के पूर्व, आवेदक द्वारा नोडल एजेन्सी को मुक्त उपयोग अनुबंध शुल्क के रूप में कुल 50,000/- रुपयों का भुगतान किया जायेगा.

(जे) अनुबंध निष्पादित होने और उसकी प्रतियां एस.एल.डी.सी. के समक्ष प्रस्तुत होने के पश्चात् एस.एल.डी.सी.मुक्त उपयोग ग्राहक को उस तिथि की सूचना देगा जिससे मुक्त उपयोग उपलब्ध होगा. यह तिथि अनुबंध निष्पादन की तिथि से तीन दिनों के बाद की नहीं होगी.

(के) कोई दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, अनुबंध में विनिर्दिष्ट अपने अधिकारों या दायित्वों का त्याग या अंतरण नहीं करेगा. अधिकारों या दायित्वों का त्याग आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति के भुगतान के अधीन होगा.

(2) अल्पावधिक उपयोग ग्राहक हेतु प्रक्रिया

(ए) अल्पावधिक मुक्त उपयोग हेतु आवेदन, किसी मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा (अनुबंध/आपूर्तिकर्त्ता के वचन/अंतिम लाभग्राही के विवरण आदि के साथ) एस.एल.डी.सी. के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा. आवेदन में आवश्यक क्षमता, अत:क्षेपण वाले बिन्दु, आहरण के बिन्दु मुक्त उपयोग प्राप्त करने की अवधि, चरम भार, औसत भार, इन विनियमों के अनुलग्नक-1 के अनुसार अन्य जानकारी और ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी, जैसा कि एस.एल.डी.सी. द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, आदि सम्मिलित होगी. कोई ग्राहक जो मुक्त उपयोग प्राप्त करने का आशय रखता हो वह भी अपने आवेदन की एक प्रति उस क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देगा, जहां प्रत्यक्ष या अवलंबित ग्राहक पाये जायें.

(बी) आवेदन पत्र के साथ, वापसी अयोग्य आवेदन पंजीयन शुल्क रु. 1000/- उस रीति से जैसा कि एस.एल. डी.सी. निर्धारित को देय होगी.

(सी) अल्पावधिक मुक्त उपयोग की संभाव्यता का परीक्षण, संबंधित एस.टी.यू./पारेषण-अनुज्ञप्तिधारी और/या वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सलाह लेकर एस.एल.डी.सी. करेगा और आवेदन पर निम्नलिखित निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यवाही करेगा :—

एक दिन तक	12 घंटे
एक सप्ताह तक	दो दिन
एक सप्ताह से अधिक	चार दिन

(डी) संभाव्यता स्थापित होने के पश्चात् और अनुबंध निष्पादन के पूर्व, मुक्त उपयोग अनुबंध शुल्क के रूप में कुल 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) उस नाम व ऐसी रीति से, जैसा कि एस.एल.डी.सी. तय करें, एस.एल.डी.सी. को देय होगा.

(ई) किसी अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा आरक्षित क्षमता अन्यों को स्थानान्तरण योग्य नहीं होगी.

(एफ) पंजीयन/अनुबंध के प्रयोजन हेतु और अन्य सभी उद्देश्यों के लिए शुल्क अल्पावधि मुक्त उपयोग अनुबंधों का नवीनीकरण उसी प्रकार किया जायेगा जैसे कि कोई नया आवेदन हो.

(3) मुक्त उपयोग हेतु बोली प्रक्रिया

(ए) विनियम 13(2) के अनुरूप यदि ग्राहकों द्वारा आरक्षित की जा सकने वाली क्षमता, उस समय उपलब्ध क्षमता से अधिक दिखाई दे तो एस.एल.डी.सी. ऐसे ग्राहकों से बोलियां आमंत्रित करेगी.

(बी) बोली के लिए न्यूनतम निर्धारित कीमत, विनियम 11(1) और/या इन विनियमों के अनुरूप निर्धारित एस. टी. दर होगी.

(सी) बोली लगाने वाले न्यूनतम निर्धारित कीमत की शर्तों पर कीमत उद्धृत करेंगे.

(डी) किसी बोली लगाने वाले को निम्नतम निर्धारित कीमत के पांच गुने से अधिक की कीमत उद्धृत करने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

(ई) पारेषण और/या वितरण क्षमता का आरक्षण, उद्धृत कीमत के पहले क्रम में किया जायेगा.

(एफ) यदि दो या अधिक बोली लगाने वालों ने समान कीमत की बोली लगाते हैं, तो पारेषण और/या वितरण क्षमता का आरक्षण, पारेषण और/या वितरण आरक्षण किये जाने हेतु दर्शित क्षमता के आनुपातिक रूप से किया जावेगा.

(जी) वह अल्पावधिक ग्राहक, जिसने अपने द्वारा वांछित क्षमता से कम क्षमता हेतु आरक्षण प्राप्त किया हो, वह अपने द्वारा उद्धृत प्रभारों का भुगतान करेगा और ऐसे अल्पावधिक ग्राहक, जिन्होंने वांछित क्षमता के बराबर पारेषण और/या वितरण क्षमता का आरक्षण प्राप्त किया हो, वे उस अंतिम ग्राहक द्वारा, जिसने वांछित क्षमता के बराबर क्षमता का आरक्षण प्राप्त किया हो, उद्धृत प्रभारों के बराबर प्रभार का भुगतान करेंगे.

(4) दिन पूर्व संव्यवहार

(ए) दिन पूर्व संव्यवहारों के मामले विनियम 11 में विनिर्दिष्ट पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार, संचालन प्रभार व अन्य प्रभारों के अग्रिम भुगतान पर जोर नहीं दिया जायेगा. ये भुगतान आवेदन देने से तीन कार्य दिवसों के भीतर किये जा सकेंगे.

(बी) मुक्त उपयोग एवं कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया गया संयुक्त निवेदन, अधिकतम अपरान्ह 3 बजे तक एस. एल.डी.सी. को प्रेषित कर दिया जावेगा. यदि निवेदन संकुलता कारित किये बिना समायोजित किया जा सकता हो, तो एस. एल.डी.सी. इसे अपने मुक्त उपयोग कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु कदम उठायेगी.

(सी) एस.एल.डी.सी. द्वारा शाम 5 बजे जारी किये गये प्रथम प्रेषण कार्यक्रम के पश्चात् ज्ञात होने वाले आधिक्यों का उपयोग करने हेतु मुक्त उपयोग एवं कार्यक्रम बनाने हेतु संयुक्त निवेदन अभिमानतः पहले या अधिकतम रात्रि 10 बजे तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाये. राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) इसे, जारी किये जाने वाले पुनरीक्षित प्रेषण कार्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रयास करेगा, यदि यह निवेदन संकुलता कारित किये बिना समायोजित किया जा सके.

(5) उसी दिन संव्यवहार

(ए) विनियम 11 में विनिर्दिष्ट पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार, संचालन प्रभार व अन्य प्रभारों के अग्रिम भुगतान पर जोर नहीं दिया जायेगा. ये भुगतान आवेदन देने से तीन कार्य दिवसों के भीतर किये जा सकेंगे.

(बी) आपात स्थिति की दशा में मुक्त उपयोग ग्राहक अल्पावधिक आपात आवश्यकता को उसी दिन निपटाने हेतु विद्युत के स्त्रोत ढूंढ सकेगा और मुक्त उपयोग हेतु अपना निवेदन एस.एल.डी.सी. को अग्रेषित कर सकेगा. एस.एल.डी.सी. वास्तविक संभाव्य सीमा तक, ऐसे आपात निवेदनों को शीघ्रातिशीघ्र समायोजित करने का प्रयास करेगी.

(6) अनुसूचियन

(ए) क्रेता तथा विक्रेता के मध्य दिवस प्रेषण अनुसूची पर करार हो जाने के उपरांत उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा.

(बी) प्रेषण अनुसूची अथवा आहरण में विचलन जो छ.रा.वि.मं. के ग्रिड से आपूरित किया गया हो ए.बी.टी. पर होगा न कि माध्य खपत आधार पर.

14. मुक्त उपयोग अनुबंध

(1) कोई मुक्त उपयोग ग्राहक, जहां तक लागू हो, एस.टी.यू./संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादकों, व्यापारियों और अन्यों से अनुबंध निष्पादित करेगा और ऐसी अन्य शर्तों को जैसी कि इन विनियमों के अधीन निर्धारित की जायें पूरा करेगा.

(2) थोक विद्युत पारेषण अनुबंध :—पारेषण तंत्र का उपयोग करने वाला कोई दीर्घावधिक मुक्त उपयो ग्राहक, राज्यान्तरिक पारेषण तंत्र का उपयोग करने के लिए, एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से थोक विद्युत पारेषण अनुबंध (...पी.टी.ए.) निष्पादित करेगा.

(3) थोक विद्युत व्हीलिंग अनुबंध :—वितरण तंत्र का उपयोग करने वाला कोई दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक वितरण तंत्र का उपयोग करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी से थोक विद्युत व्हीलिंग अनुबंध (बी.पी.डब्ल्यू.ए.) निष्पादित करेगा.

(4) अनुबंधों की स्वीकृति का इलेक्ट्रानिक संवहन मान्य होगा.

(5) अनुबंधों की प्रस्तुति से 3 दिनों के भीतर एस.टी.यू./अनुज्ञप्तिधारी/एस.एल.डी.सी. मुक्त उपयोग ग्राहक को प्रवृत्त होने के दिनांक की सूचना देगा.

(6) अनुज्ञप्तिधारी, किसी मुक्त उपयोग ग्राहक से हुए नये अनुबंध की जानकारी, अनुबंध के प्रारूपीकरण से सात दिनों के भीतर, उसे वेबसाइट में प्रदर्शित करने के अतिरिक्त, एस.एल.डी.सी. को भी देगा.

15. मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा आरक्षित क्षमता का उपयोग न किया जाना

(1) यदि कोई मुक्त उपयोग ग्राहक, आरक्षित क्षमता के किसी पूर्ण या महत्वपूर्ण भाग का उपयोग करने में असमर्थ है तो वह नोडल एजेन्सी को, आरक्षित क्षमता के उपयोग में अपनी असमर्थता उसके कारणों सहित सूचित करेगा और वह आरक्षित क्षमता का समर्पण भी कर सकेगा.

(2) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ग्राहक द्वारा बारंबार अधिकतर क्षमता से कम का उपयोग किया जाये, तो नोडल एजेन्सी स्वप्रेरणा से, ऐसे मुक्त उपयोग ग्राहक के लिए आरक्षित क्षमता में कमी कर सकती है या उसे रद्द कर सकता है.

परन्तु, ऐसे मुक्त उपयोग ग्राहक को, जिसकी आरक्षित क्षमता कम या रद्द किया जाना वांछित हो पूर्व सूचना दिये बिना इस खण्ड के अधीन उसकी आरक्षित क्षमता कम या रद्द नहीं की जा सकेगी.

(3) मुक्त उपयोग ग्राहक, जिसने आरक्षित क्षमता खण्ड (1) के अधीन समर्पित कर दी हो या जिसकी आरक्षित क्षमता खण्ड (2) के अनुसार कम या रद्द कर दी गई हो वह दीर्घावधिक ग्राहक होने की दशा में 30 दिन और अल्पावधिक ग्राहक होने की दशा में 7 दिन या उस अवधि का, जिसका आरक्षण समर्पित या कम या रद्द, जैसी भी स्थिति हो किया गया हो जो भी अवधि कम हो के लिए पारेषण/व्हीलिंग प्रभार और संचालन प्रभार जो मूल आरक्षित क्षमता पर आधारित हो वहन करेगा.

टीप :— इस खण्ड के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति "संचालन प्रभार" का अर्थ वही है, जैसा कि उस पर विनियम 11 द्वारा समानुदेशित किया गया है.

(4) विनियम 15 (1) के अधीन किसी मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा समर्पण करने या विनियम 15 (2) के अधीन नोडल एजेन्सी द्वारा उसकी आरक्षित क्षमता कम करने अथवा रद्द करने के कारण उपलब्ध हुई पारेषण/वितरण क्षमता इन विनियमों के अनुरूप किसी अन्य मुक्त उपयोग ग्राहक के लिए आरक्षित की जा सकती है.

16. **छंटाई प्राथमिकता**

(1) जब किसी बाध्यता के कारण या अन्यथा, मुक्त उपयोग ग्राहकों के सेवा को कम करना आवश्यक हो जाय, तो पहले अल्पावधिक ग्राहकों की सेवा में कमी की जाये और उसके पश्चात् दीर्घावधिक ग्राहकों की. परंतु यह कि एक वर्ग के सभी उपयोगकर्त्ताओं को छंटाई प्राथमिकता समान होगा और उन्हें, दीर्घावधिक ग्राहकों के मामले में आवंटित पारेषण क्षमता ताकि अल्पावधिक ग्राहकों के मामले में आरक्षित पारेषण क्षमता के लिए आनुपातिक आधार पर छांटा जायेगा.

(2). यदि भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन एक क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र (केन्द्रों)/राज्य उत्पादन केन्द्र (केन्द्रों)जैसी भी स्थिति हो, से विद्युत एक अन्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को आवंटित करे और एस.एल.डी.सी. की राय में पारेषण श्रृंखला में संकुलता के कारण इसे अन्यथा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता तो वह अल्पावधिक ग्राहक के लिए आरक्षित पारेषण क्षमता में कमी या उसे रद्द कर सकता है. यदि एस.एल.डी.सी. किसी अल्पावधिक ग्राहक के आरक्षित पारेषण क्षमता को इस खण्ड के अधीन कम या रद्द करती है, तो शीघ्रातिशीघ्र इस निर्णय की सूचना संबंधित अल्पावधिक ग्राहक को दी जायेगी.

17. **छंटनी की दशा में अल्पावधिक ग्राहकों के लिए पारेषण प्रभार**

यदि किसी दिन विशेष को, पारेषण विवशताओं के कारण, एस.एल.डी.सी. द्वारा, आरक्षित पारेषण क्षमता की 55% या उससे अधिक की छंटनी की जाती है, तो अल्पावधिक ग्राहक द्वारा, उस दिन के लिए पारेषण प्रभार, वास्तविक रूप से उपलब्ध पारेषण क्षमता के अनुरूप आनुपातिक रूप से देय होगा.

18. **मीटरीकरण**

(1) मुक्त उपयोग ग्राहकों के द्वारा, आयोग द्वारा, मीटरिंग संहिता में वोल्टेज, आपूर्ति एवं टैरिफ वर्ग के बिन्दु एवं अवधि के आधार पर, ऐसे ग्राहकों के लिए मुख्य मीटरों के रूप में यथा विनिर्दिष्ट, ए.बी.टी. के अनुरूप विशेष ऊर्जा मीटर प्रवेश तथा आहरण के बिन्दुओं पर उपलब्ध कराये जायेंगे. ''मीटर'' शब्द के अंतर्गत विद्युत प्रवाह ट्रांसफार्मर्स, वोल्टेज/विभव ट्रांसफार्मर्स, उनके बीच डाले गये तार, मीटर का डिब्बा/फलक भी शामिल है. संबंधित अनुज्ञप्तिधारी मीटरों, मीटरिंग उपकरणों और मीटरों की स्थापना को प्रमाणित करेंगे.

(2) मुख्य मीटर हमेशा अच्छी स्थिति के बनाये रखे जायेंगे और नोडल एजेन्सी द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए हमेशा खुले रहेंगे.

(3) संबंधित अनुज्ञप्तिधारी, मुख्य मीटरों के समान विशेषताओं वाले जांच मीटर भी उपलब्ध कराएंगे.

(4) संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्मिलित दूसरे पक्ष की उपस्थिति में मुख्य तथा जांच मीटरों का कालावधिक परीक्षण तथा मानक अंकन किया जायगा. मुख्य तथा जांच मीटरों को उभय पक्ष द्वारा मुहरबंद किया जायेगा. त्रुटिपूर्ण मीटरों को तत्काल बदल दिया जायेगा.

(5) मुख्य तथा जांच मीटरों का कालावधिक वाचन, संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसके लिए अधिकृत उसके किसी अधिकारी, उत्पादक और ग्राहक या उसके प्रतिनिधि-जैसी भी स्थिति हो, द्वारा नियत दिन तथा समय पर किया जायेगा. मीटर वाचन के 12 घण्टे के भीतर, उसे एस.एल.डी.सी., मुक्त उपयोग ग्राहक और उत्पादक कंपनी या व्यापारी को सूचित किया जायेगा.

(6) यदि मुख्य मीटर त्रुटिपूर्ण हो जावे अथवा बंद हो जावे तो जांच मीटर की रीडिंग मान्य होगी. यदि मुख्य मीटर एवं जांच मीटर की रीडिंग में स्वीकृत प्रतिशत त्रुटि का दोगुना अंतर आवे तो त्रुटिपूर्ण मीटर को तत्काल बदल दिया जावे. मुख्य मीटर एवं जांच मीटर दोनों की सत्यता की जांच की जावे.

(7) यदि मुक्त उपयोग ग्राहक, अनुज्ञप्तिधारी से मुख्य मीटर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा करे, तो वह अनुज्ञप्तिधारी को सुरक्षानिधि उपलब्ध करायेगा और उसके किराये का भुगतान करेगा. मीटर का रख-रखाव अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिया जायेगा.

19. ऊर्जाक्षय

(1) मुक्त उपयोग ग्राहक, आयोग द्वारा टैरिफ अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तों से संबंधित अधिनियम की धारा 61 के अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसरण में अनुमोदित किये गये, पारेषण तंत्र एवं वितरण तंत्र के ऊर्जा क्षयों को वहन करेगा. पारेषण एवं वितरण तंत्रों में होने वाले ऊर्जा क्षयों की भरपाई अत:क्षेपण बिन्दु(ओं) पर अतिरिक्त अंत:क्षेपण द्वारा की जायेगी.

(2) पिछले 12 माह के औसत ऊर्जा क्षय से संबंधित जानकारी एस.एल.डी.सी.और पारेषण एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के वेबसाइट में उपलब्ध रहनी चाहिए.

20. देयकों की तैयारी और उनका भुगतान

(1) विनियम 11 में दर्शित प्रभारों के लिए देयक एस.टी.यू./संबंधित अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी. द्वारा जैसी भी स्थिति हो, तैयार किया जायेगा. मुक्त उपयोग ग्राहक इन देयकों का भुगतान सीधे इन्हें जारी करने वालों को करेगा.

(2) भुगतान हेतु सुरक्षा निधि

दीर्घावधिक ग्राहक :

पारेषण एवं व्हीलिंग प्रभारों, जो भी लागू हो, के लिए सुरक्षा निधि संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखी जाने वाली मान्य अनुसूची के आधार पर, विद्युत की लागत को छोड़कर पिछले एक माह की औसत देयक राशि के बराबर होगी. एस. एल.डी.सी. प्रभारों के लिए सुरक्षा निधि, वार्षिक प्रभारों के 1/12 के बराबर होगी, जिसे एस.एल.डी.सी. के साथ बनाये रखा जायेगा. सुरक्षा निधि बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जायेगी अथवा इसे साखपत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) के रूप में रखा जायेगा.

अल्पावधिक ग्राहक :

पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार, संचालन प्रभार और अन्य प्रभार संबंधित तंत्र को माहवारी आधार पर देय होंगे. उपयोग प्रदत्त किये जाने के तीन कार्य दिवसों के भीतर, एक माह या उपयोग की अवधि, जो भी कम हो, के लिए अग्रिम भुगतान (सुरक्षा निधि) किया जायेगा. पश्चात्वर्ती भुगतान अगला माह प्रारंभ होने के कम से कम एक दिन पूर्व किया जायेगा. यदि प्रदान की गई उपयोग की अवधि एक माह से अधिक की हो, तो अल्पावधिक ग्राहक अप्रतिहस्तांतरणीय समर्थन साख पत्र, मुक्त उपयोग प्रारंभ होने के सात दिनों के भीतर देगा.

(3) सभी भुगतान या तो संबंधित तंत्र के स्थान पर भुगतान योग्य चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा किया जायेगा.

(4) भुगतान में चूक की दशा में आपूर्ति संयोजन का विच्छेद;

बकायों का भुगतान न करने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारियों को अधिनियम की धारा 56 के अनुरूप, आपूर्ति संयोजन के विच्छेद का अधिकार होगा.

(5) असंतुलन (असंसूचित अदला बदली) प्रभारों और प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों का संग्रहण एवं वितरण, आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली के द्वारा, अधिशासित होगा.

21. **प्रवेश तथा निर्गमन बिन्दुओं में परिवर्तन हेतु लचीलापन**

(1) एस.टी.यू./संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऐसे उपयोगकर्त्ताओं के आदेश पर कराये जाने वाले तंत्र प्रभाव अध्ययनों के अध्यधीन, दीर्घावधिक ग्राहकों को वर्ष में एक बार प्रवेश और/या निर्गमन बिन्दुओं को परिवर्तित करने हेतु मुक्त होगा बशर्ते उससे वर्तमान उपयोगकर्त्ताओं को अधिकारों पर विपरीत प्रभाव न पड़े. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऐसे अध्ययनों पर किया गया संपूर्ण व्यय ऐसे उपयोगकर्त्ताओं द्वारा प्रतिपूर्त किया जायेगा.

(2) यदि संभव हो तो उत्पादन या संबद्ध पारेषण की अनुपलब्धता के समय इससे उत्पन्न आकस्मिकता की दशा में एस. एल.डी.सी. किसी अल्पावधिक ग्राहक को अंत:प्रेक्षण बिन्दु या बिन्दुओं में परिवर्तन करने की अनुमति दे सकेगा.

(3) अतिरिक्त या नये पारेषण गलियारे में पारेषण क्षमता जो एस.एल.डी.सी. द्वारा अंत:क्षेपण बिन्दुओं में परिवर्तन की अनुमति देने के कारण उपलब्ध हो, उसका आरक्षण इन विनियमों के अनुरूप प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा.

(4) जब एस.एल.डी.सी. द्वारा अंत:क्षेपण बिन्दु(ओं) में परिवर्तन की अनुमति दे दी जाये, तब पूर्व में पटाया गया, पारेषण प्रभार एवं सेवा प्रभार, पुनरीक्षित पारेषण क्षमता आरक्षण के अनुरूप देय होने वाले पारेषण प्रभार एवं सेवा प्रभार में समायोजित किया जायेगा.

22. **प्रकीर्ण**

संचार सुविधा

(1) ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली संचार सुविधाओं को मामला दर मामला आधार पर एस.एल.डी.सी. द्वारा परिभाषित किया जायेगा. मुक्त उपयोग ग्राहक को ऐसी सारी सुविधायें उपलब्ध करानी होगी.

(2) मुक्त उपयोग ग्राहक के पास दूरभाष, फैक्स और ई-मेल की सुविधा होनी चाहिए. उनके संचार प्रणाली की विस्तृत जानकारी एस.एल.डी.सी. और नोडल अभिकरण को दी जायेगी.

सूचना तंत्र

(3) एस.टी.यू./अनुज्ञप्तिधारी और एस.एल.डी.सी. द्वारा अपनी वेबसाईट पर, ''मुक्त उपयोग सूचना'' शीर्षक के अंतर्गत एक अलग वेब पृष्ठ पर अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक ग्राहकों के लिए अलग-अलग निम्नानुसार जानकारी रखी जायेगी जिसे आवश्यकतानुसार समय-समय पर अद्यतन किया जायेगा. यह पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है एवं ऐसी जानकारी के आदान प्रदान करने के लिये होगा जो उपयोग आवेदनों के प्रारूप में आवश्यक है.

(i) ग्राहक का नाम
(ii) उपयोग की अवधि (प्रारंभ और समापन की तिथियां)
(iii) अंत:क्षेपण के बिन्दु
(iv) आहरण के बिन्दु
(v) पारेषण तंत्र/वितरण तंत्र की क्षमता
(vi) उपयोग की गई मुक्त उपयोग क्षमता

(vii) लागू दरें

(viii) उपलब्ध पारेषण क्षमता

(ix) विस्तृत जानकारी के साथ राज्यांतरिक मुक्त उपयोग हेतु आवेदकों की प्रतीक्षा सूची

(x) उपयोग (अधिक/कम) की मात्रा (मेगावाट में) के मुकाबले आवंटित क्षमता (मामूली उतार चढ़ाव को छोड़कर) संगत आधारों पर प्रतिवेदित की जायें और

(xi) राज्य के भीतर स्थित पारेषण और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के तंत्र के अल्पावधिक ग्राहकों के लिए रुपयों में प्रति मेगावाट प्रतिदिन की न्यूनतम निर्धारित दर (एस.टी. दर)

(4) उपरोक्त जानकारियों पर आधारित एक त्रैमासिक प्रतिवेदन भी अनुज्ञप्तिधारी के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा. इन वेबसाइटों में पिछले 12 माह में पारेषण तंत्र और वितरण तंत्र के ऊर्जा क्षय से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई जायेगी.

(5) यदि कोई मुक्त अधिगमन ग्राहक अथवा अनुज्ञप्तिधारी ऐसी वांछा करें, तो एस.एल.डी.सी.ए. उन्हें उपलब्ध या वांछित क्षमता की जानकारी, दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक होने की दशा में अधिकतम 15 दिवस और अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक होने की दशा में तीन दिवस की अवधि के भीतर, उपलब्ध करायेगा.

(6) एस.एल.डी.सी.ए. मांग में परिवर्तनों (भार व्यवहार) पर विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करायेगा और एस. एल. डी.सी. अनुज्ञप्तिधारी के साथ मिलकर विद्युत तंत्र के बारे में वास्तविक समय सूचना उपलब्ध कराने की क्षमता विकसित करेगा.

(7) इस विनियम के प्रभावी होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर सूचना का प्रावधान प्रारंभ होगा.

समन्वय

(8) मुक्त उपयोग के क्रियान्वयन की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि अनुज्ञप्तिधारी और एस.एल.डी.सी. अपने-अपने आपूर्ति के क्षेत्र में विशेषकर ऊर्जा प्रवाह पर, पारेषण और वितरण तारों पर भार, और तंत्र के स्थायित्व निर्धारण हेतु उपकरणों, उपलब्ध क्षमता नेटवर्क में संकुलता आदि के निर्धारण हेतु मुक्त उपयोग के स्तर का निर्धारण करने के लिये, अपने मध्य सूचना का आदान प्रदान दैनिक आधार पर करें.

ग्रिड अनुशासन और आपूर्ति की गुणवत्ता

(9) अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 57 के अधीन एवं भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता और छत्तीसगढ़ विद्युत ग्रिड संहिता के अधीन निर्धारित आपूर्तिमानकों का अपने नेटवर्क के सभी मुक्त उपयोग ग्राहकों के लिये जहां तक ये गुणवत्ता मानक उन्हें लागू हों सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा.

(10) सभी मुक्त उपयोग ग्राहक, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता छत्तीसगढ़ विद्युत ग्रिड संहिता और एस.टी.यू. तथा एस.एल. डी.सी. द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे.

23. प्रतितोषण व्यवस्था

(1) मुक्त उपयोग से संबंधित कोई भी विवाद या शिकायत जैसे अनुचित व्यवहार, विलंब, विभेद, सूचनाओं की कमी अथवा कोई अन्य विषय नोडल एजेन्सी (एस.टी.यू./एस.एल.डी.सी.) को प्रतिवेदित किया जायेगा, जो जांच कर शिकायत के निराकरण का प्रयास करेगा.

(2) पारेषण/वितरण सुविधा की उपलब्धता के संबंध में अनुसुलझे विवादों पर आयोग निर्णय देगा.

24. कठिनाईयों को दूर करने की शक्तियाँ

(1) इन विनियमों के प्रावधानों में से किसी को प्रभावशील करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा एस.एल.डी.सी., उत्पादकों, अनुज्ञप्तिधारियों और मुक्त उपयोग ग्राहकों को ऐसी समुचित कार्यवाही करने का निर्देश दे सकेगा जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो आयोग को कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक एवं समुचित प्रतीत हों.

(2) मुक्त उपयोग ग्राहक, उत्पादक, अनुज्ञप्तिधारी और एस.एल.डी.सी. आयोग के समक्ष आवेदन कर सकेंगे और इन विनियमों के क्रियान्वयन में उत्पन्न हो सकने वाली किन्हीं कठिनाईयों को दूर करने के लिए समुचित आदेश प्राप्त कर सकेंगे.

25. संशोधन की शक्ति

आयोग, आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुसरण कर समय-समय पर इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों को बढ़ा. घटा. परिवर्तित, रूपान्तरित या संशोधित कर सकेगा.

26. व्यावृत्तियाँ

(1) इन विनियमों की किसी बात के बारे में यह नहीं माना जायेगा कि वह न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या आयोग की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले आदेश देने की आयोग की शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करता है.

(2) यदि आयोग की दृष्टि में किसी मामले या किन्हीं मामलों के वर्ग के विशेष परिस्थितियों के कारण एवं उन कारणों से जो अभिलेखित किये जायें, ऐसे मामले या मामले के वर्ग के लिए आयोग अधिनियम के प्रावधानों से सुसंगत कोई ऐसी प्रक्रिया, जो इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों से भिन्न हो, तो उन्हें अपनाने से यह विनियम प्रवरित नहीं करेगी.

(3) इन विनियमों की कोई बात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी मामले में कार्यवाही करने या अधिनियम के अधीन अपनी किसी शक्ति का प्रयोग करने से आयोग को बाधित नहीं करेगी जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं और आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कृत्यों के साथ उस नीति से कार्यवाही कर सकेगा, जो वह उचित समझे.

टीप :— इस विनियम के हिन्दी संस्करण की, अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा.

आयोग के आदेशानुसार,
अजय श्रीवास्तव, उप-सचिव.

अनुलग्न क्र. - 1

मुक्त उपयोग के आवेदन में शामिल किये जाने वाली जानकारी के बारे में सुझाव

[संदर्भ धारा 13(1) और (2)]

(ए)

(i) आवेदक और उस व्यक्ति, जिसके लिए आवदेक, उपयोग के लिए आवेदन देने का कार्य कर रहा है, का नाम और पता.

(ii) व्हीलिंग की प्रकृति, यथा या तो यह केप्टिव व्हीलिंग है या अन्य पक्ष विक्रय.

(बी) आवश्यक नेटवर्क उपयोग का प्रकार, दीर्घावधिक या अल्पावधिक.

(सी) प्रवेश के बिन्दु स्थिति: अंतर संयोजन का वोल्टेज स्तर ऐसे बिन्दुओं पर प्रेषित क्षमता (मेगावॉट में).

(डी) निकास के बिन्दु स्थिति: संयोजन का वोल्टेज स्तर, ऐसे विकास बिन्दु पर आवश्यक क्षमता (मेगावॉट में) उपरोक्त (सी) और (डी) के उद्देश्यों के लिए उदाहरण यथा:—

(i) प्रत्येक प्रवेश बिन्दु (यदि कोई हो) पर उपयोगकर्त्ता के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता और प्रस्तावित घोषित प्रेषण क्षमता.

(ii) प्रत्येक निर्णय बिन्दु पर संयोजित या संयोजित किये जा सकने वाले संयंत्र की अपेक्षित अधिकतम मांग और औसत मांग.

(ई) प्रत्येक प्रवेश एवं निर्गमन बिन्दुओं पर संयोजित या संयोजित किये जा सकने वाले परिसरों का अपेक्षित विद्युत उत्पादन और खपत.

(एफ) अनुबंध की कुल अवधि.

(जी) आवेदक के संयंत्र या भार का विस्तृत विवरण, जैसा कि समय-समय पर संशोधित ग्रिड संहिता या वितरण संहिता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अपेक्षित हो.

(एच) समय-समय पर यथा संशोधित मीटरिंग संहिता (ग्रिड संहिता या वितरण संहिता, जैसी भी स्थिति हो, का भाग) के अधीन अपेक्षित प्रवेश एवं निर्गमन बिन्दुओं पर मीटरिंग प्रबंधों का विस्तृत विवरण.

(आई) आवेदक के परिसरों में क्रिटिकल विद्युत भार, आवश्यक सेवाओं आदि, यदि कोई हो, तो का विवरण.

(जे) यह जानकारी कि क्या विद्युत प्राप्तकर्त्ता पूर्व से क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी का ग्राहक है ? यदि हां, तो मुक्त उपयोग की अनुमति दिये जाने पर उसकी हैसियत क्या होगी ?

कोई और जानकारी जो एस.टी.यू./अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी. द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित की जाये.

Raipur, the 26th July 2005

No. 9/CSERC/2005.—In exercise of powers conferred by section 39(2) (d), 40 (c), 42 (2, 3), 86 (1) (c) read with Section 181 (1) of the Electricity Act, 2003, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulation related to Intra-State Open Access in Chhattisgarh.

1. **Short Title and Commencement**

(1) These regulations shall be called the Chhattisgarh Electricity Regulatory Commission (Intra-State Open Access in Chhattisgarh) Regulations, 2005.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in Chhattisgarh Rajpatra.

2. **Extent of Application**

These regulations shall apply to open access customers for use of intra-state transmission system and/or the distribution systems of licensees in the State; including such system when it is used in conjunction with inter-state transmission system.

3. **Definitions**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires :—

"Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

"Alloted transmission capacity" means the power contracted for transfer (in MW) between the specified point(s) of injection and point(s) of drawal allowed to a long term customer on the intra-state transmission system under normal circumstances and the expression "allotment of transmission capacity" shalll be construed accordingly;

"Balancing and Settlement Code" means such code as may be specified by the Commission for the balancing of energy/demand accounts and settlement of differences between schedule and actual energy/demand among the users of the grid in the State;

"Board" or "CSEB" means the Chhattisgarh State Electricity Board;

"Commission" means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission;

"Indian Electricity Grid Code (IEGC)" means the Grid Code specified by the Central Electricity Regulatory Commission under Clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act;

"Chhattisgarh Electricity Gird Code" means the State Grid Code as may be specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;

"Direct Customer" means a person who is directly connected to the system owned or operated by the State Transmission Utility/Transmission licensee and/or Distribution Licensee in the State;

"Embedded customer" means a person who is not a direct customer ;

"Open access customer" means a consumer permitted to receive supply of electricity from a person other than the distribution licensee of his area of supply, or a generating company (including captive generating plant) or a licensee, who has availed of or intends to avail of open access;

"Point of injection" means a connection at which electricity is transferred to the electricity transmission network or the electricity distribution network, as the case may be;

"Point of drawal" means a connection at which electricity is transferred from the electricity transmission network or the electricity distribution network, as the case may be;

"Reserved transmission capacity" means the power transfer (in MW) between the specified point(s) of injection and point(s) of drawal, allowed to a short-term customer on the transmission system depending on availability of transmission capacity and the expression "reservation of transmission capacity" shall be construed accordingly;

"SLDC" means the State Load dispatch Centre established under sub-section (1) of section 31 of the Act, presently situated in Bhilai, managing the operation of the transmission system and coordinating the state generation and load requirements;

"State" means the State of Chhattisgarh; and

"STU" means the State Transmission Utility as per Section 172 of the Act, which is presently the CSEB.

(2) All other expressions used herein but not specifically defined, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act. The other expressions used in herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act but defined in any law passed by the Parliament applicable to electricity industry in the state or in the CSERC (Conduct of Business) Regulation 2004 shall have the meaning assigned to them in such law or Regulation. Subject to the above, the expressions used herein shall have the meaning as is generally assigned to them in the electricity supply industry.

4. Eligibility for Open Access

(1) Subject to the provisions of these regulations, open access customers shall be eligible for open access to the intra-state transmission system of the STU or any transmission licensee and intra-state distribution system of the CSEB or any distribution licensee.

(2) Such access shall be available for use by an open access customer on payment of such charges as may be determined by the Commission in accordance with these regulations.

(3) A person having been declared insolvent or bankrupt or having outstanding dues against him for more than three months billing of a transmission or distribution licensee shall not be eligible for open access.

5. Phasing of Open access

(1) Subject to operational constraints and other relevant factors, open access shall be allowed in the following phases as per the timetable given below :

Phases	Customer with contracted power under open access for transmission and wheeling	Date from which open access is to be granted
I	Users requiring 10 MW or above.	1 April, 2006
II	Users requiring 5 MW and above.	1 April, 2007
III	Users requiring 2 MW and above.	1 October 2007
IV	Users requiring 1 MW and above.	1 April 2008

Provided that the non-conventional energy generators and users may be provided open access for one MW or above at voltage level not below 33 KV with immediate effect.

Similarly captive generating plant may be provided open access for one MW and above for carrying electricity from his plant to the destination of his use with immediate effect.

(2) Based on the experience of commencement and operation of open access in phase I, the Commission may revise the schedule for allowing open access in subsequent phases.

6. Provisions for Existing Entities

(1) The persons using access to the intra-state transmission system and/or of the distribution system in the State on the date of coming into force of these regulations, under an existing agreement/contract shall be entitled to continue to avail such access to the transmission and distribution system on the same terms and conditions, for the term of the existing agreement/contract. Such persons are eligible to avail long-term intra-state open access under these regulations on expiry of those agreement/contract. They shall have to apply to come under the long term open access category at least 30 days prior to the expiry of such agreement/contract.

(2) Pursuant to coming into force of these regulations, the distribution companies shall also be required to apply for open access to the transmission licensee's network for meeting power requirements of their existing and future consumers. Regulation 5 above shall not be applicable to such cases.

7. Categorization of open access customers

(1) The open access customers may be classified into the following categories :

(a) **Long-term open access customers :** A long-term open access customer is one who avails open access for a period of five years or more.

(b) **Short-term open access customer :** A short-term open access customer is one who avails open access for a period of one year or less.

(2) The short-term customer shall be eligible to renew the open access on the expiry of his agreement. The application for such renewal shall be treated as a new application.

(3) Nodal Agency

(i) The nodal agency for arranging the long-term transmission and distribution access shall be the State Transmission Utility if its system is used, otherwise the nodal agency shall be the transmission licensee in whose system, the point of drawal is situated.

(ii) The nodal agency for the short-term transmission and/or distribution access shall be the State Load Dispatch Centre.

8. Allotment Priority

(1) A distribution licensee shall have the highest priority in the allotment of open access capacity whether in the long-term or short-term.

(2) Allotment priority of a long-term customer shall be higher than that of a short-term customer.

(3) An existing open access customer shall have the priority over new customers under respective categories.

(4) Subject to the above clauses, the decision for allowing open access shall be based on the basis of first-come first-served principle or bidding as case may be.

9. Criteria for allowing Open Access

(1) The voltage of inter-connection shall be as per the Chhattisgarh Electricity Supply Code, 2005.

(2) The long-term access shall be allowed in accordance with the transmission-planning criteria stipulated in the Chhattisgarh Electiricity Grid Code and distribution planning capacity stipulated in the Chhattisgarh Electricity Distribution Code, as may be framed by the Commission.

(3) The short-term access shall be allowed, if the request can be accommodated, by utilizing :—

(i) the inherent design margins;

(ii) margins available due to variation in power flows; and

(iii) margins available due to in-built spare capacity in transmission and/or distribution systems created to cater to future load growth.

10. Computation of Availability of Capacity for Open Access

(1) The capacity available for the intra-state open access shall be computed for each transmission line and for every sub-station by the STU following the methodology given below :

(a) Available open access capacity of a transmission system segment=(DC-SD-AC)+NC where,

DC=Designed capacity of the transmission segment in MW,

SD=Sustained demand in MW recorded in the segment.

AC=Already allotted capacity, but not availed, and

NC=Capacity in MW expected to be added, by way of system improvement or addition to capacities.

(b) Available open access capacity of a sub station=TC-SP-AC where,

TC=Transformer capacity of the sub station in MVA,

SP=Sub station peak in MVA, and

AC=Already alloted capacity but not availed in MVA

The STU shall update the values as per (a) and (b) above on monthly basis on the first calender day of the month and publish it in their website.

(2) The concerned distribution licensee shall determine the available capacity for the portion of the distribution system over which open access is sought.

11. Charges for Open Access

The licensee providing open access shall levy only such fees and/or charges as may be specified by the Commission from time to time. The principles of determination of the charges shall be as under:

(1) **Transmission Charges :**—The transmission charges for use of the transmission system of the STU/ transmission licensee for intra-state transmission shall be regulated as under :

(a) The transmission charges payable by a long-term open access customer for use of the transmission system shall be as determined by the Commission in Tariff Order dated 15-06-2005. shall be applicable till revised by the Commission. These charges shall be shared by the long-term open access customers proportionately.

(b) The transmission charges payable by a short-term customer for the use of intrastate transmission system shall be calculated in accordance with the following methodology :

ST_RATE=0.25 x [TSC/Av_CAP]/365

Where :

ST_RATE is the rate for short-term customer in Rs. per MW per day.

"TSC" means the annual transmission charges or annual revenue requirement on account of the transmission system as last determied by the Commission.

"AV_CAP" means the average capacity in MW served by the intra-state transmission system of the transmission licensee in the previous financial year and shall be the sum of the generating capacities connected to the transmission system and contracted capacities of other long-term transactions handled by the System of the transmission licensee.

(i) The transmission charges payable by a short-term customer in case of uncongested transmission corridor shall be levied as upto 24 hours or part thereof in a day in one block equal to ST _RATE.

(ii) Twenty five percent (25%) of the revenue thus earned from the short-term open access customers shall be utilized to reduce the transmission charges of the long-term open access customers. The remaining 75% revenue shall be kept by the STU/transmission licensee for making capital expenditure for development of its infrastructure. The STU/transmission licensee shall maintain separate account for the revenue earned from short - term customers and also shall have to seek the approval of the Commission before making any capital expenditure in accordance with the conditions of his license.

(2) **Wheeling Charges :**—The Wheeling charges for use of the distribution system of a licensee shall be regulated as under :—

(a) The Wheeling Charges payable by a long-term customer for use of the distribution system shall be as determined by the Commission. These charges shall be shared by the long-term open access customers proportionately.

(i) The wheeling charges payable by a short-term customer for the use of distribution system shall be same as the wheeling charges payable by the long-term open access customer. In case of an uncongested distribution system the wheeling charges payable by a short-term customer shall be levied as up to 24 hours in a day or part thereof in one block-equal to wheeling charge.

(ii) Twenty five percent (25%) of the revenue thus earned from the short-term open access customers shall be utilized to reduce the wheeling charges of the long-term open access customers. The remaining 75% revenue shall be kept by the distribution licensee, in whose area the point of drawal is situated, for making capital expenditure for development of its infrastructure. The distribution licensee shall maintain separate account for the revenue earned from short-term customers and also shall have to seek the approval of the Commission before making any capital expenditure in accordance with the conditions of licence.

(3) **Operating Charge—**

(a) The long-term open access customers shall pay to the SLDC, the scheduling and system operation charges as determined by the Commission in accordance with the regulation as may be framed for levy and collection of fees and charges of SLDC.

(b) An operating charge as determined by the Commission from time to time shall be payable a short term customer to the SLDC.

Note : The operating charge includes fee for scheduling and system operation, fee for affecting revisions in schedule on bonafide grounds and collection and disbursement charges.

(c) 50% of the service charges collected from short-term open access customers shall be retained by the SLDC for making capital expenditure for development of the infrastructure. SLDC shall maintain separate account for the revenue earned from short-term customers and also shall have to seek the approval of the Commission before making any capital expenditure. The balance 50% shall be adjusted towards the charges payable by long-term opem access customers.

(4) **Imbalance (UI) charges—**

(a) The mismatch between the scheduled and the actual drawal at drawal point(s) and scheduled and the actual injection at injection point(s) shall be met from the grid and shall be governed by Balancing and Settlement Code applicable to the intra-state transactions;

(b) A separate bill for imbalance charges shall be issued to open access customers.

(5) **Reactive Energy Charges—**

(a) The payment and receipt of the reactive energy charges by the direct customers on account of open access shall be calculated in accordance with the scheme applicable to transactions involving intra-state transmission approved by the Commission from time to time.

(b) The reactive energy drawals and injections by the embedded customers shall be governed by the regulations as applicable within the State concerned.

(6) **Surcharge—**

(a) The Commission shall specify the cross subsidy surcharge for individual categories of consumers separately.

(b) The principle and procedure for determining cross-subsidy surcharge shall be as under :

(i) Every open access customer requiring supply of electricity through open access in accordance with these Regulations shall be liable to pay a cross-subsidy surcharge, as may be specified,

(ii) Such surcharge shall be based on the current level of cross-subsidy of the tariff category/tariff slab and/or voltage level to which such open access customers, belong or are connected to, as the case may be. It is to be calculated based on the difference between the applicable tariff rate to the consumer category concerned if the electricity is supplied by the distribution licensee and the cost to the licensee for such supply.

Provided that such surcharge shall not be leviable in case open access is provided to a person who has established a captive generating plant, in respect of his captive generation, for carrying the electricity to a destination of his own use.

(7) **Additional Surcharge**—The Commission shall determine the additional surcharge as required under Section 42(4) of the Act on a yearly basis.

(8) **Interconnection Charges**—The open access customers seeking interconnection for their generators and loads with the grid shall be required to pay the interconnection charges as specified by the Commission.

(9) **Connectivity Charges**—One time connectivity charges as specified by the Commission shall be payable by the open access customers for getting connected with the grid.

(10) Any other charges, in cash or kind as may be specified by the Commission shall be payable by the open access customer.

(11) In case the open access customer uses inter-state transmission system and services of Regional Load Dispatch Centre and State Load Dispatch Centre of any other state, the transmission charges of CTU and STU of the other State and service charges of Regional Load Dispatch Centre and State Load Dispatch Centre of other state shall be payable by such customer in addition to the charges fixed under these Regulations.

12. All open access users must make reasonable endeavour to ensure that their actual demand or actual sent-out capacity, as the case may be, at an inter-connection does not exceed the contract maximum demand or actual sent-out capacity for that inter-connection.

Provided that for carying out balancing and settlement of energy and demand at all entry and exit points relating to access agreements, the licensee shall strictly adhere to the Balancing and Settlement Code, as amended from time to time.

Provided further, that till such time the Balancing and Settlement Code is approved by the Commission, the terms and conditions for energy and demand balancing, as set out in the existing agreements shall continue to apply.

13. Procedure to Avail Open Access

(1) Procedure for Long-Term Open Access Customer

(a) An application for long-term open access shall be submitted by an Open access customer (along with the agreement/commitment the supplier/details of terminal beneficiary etc.,) to the STU/transmission licensee. The application shall contain details such as capacity needed, point(s) of injection, point(s) of drawal, duration of availing open access, peak load, average load. other information as per Annexure-I to these Regulation and such other additional information as may be specified by STU. If the end user of the open access sought is a consumer of a distribution licensee in the State, an undertaking from such consumer that he will abide by the terms and conditions under these Regulations on the payments to be made by him for the various charges covered in these regulations, shall be obtained and attached to the application. A customer intending to avail open access shall also submit a copy of his application to the distribution licensee(s) of the State involved in this open access transaction.

(b) The nodal agency shall issue necessary guidelines, procedure and application forms, with the approval of the Commission within 30 days of publication of these Regulations in the Official Gazette.

(c) The application shall be accompanied by a non-refundable application registration fee of Rs. 5000/- payable in the manner to be decided by the STU;

(d) Based on system studies conducted in consultation with other agencies involved, including other transmission and distribution licensees, the nodal agency shall, within 30 days of receipt of the application, intimate to the applicant whether or not the long-term access can be allowed without further system strengthening.

(e) Where long-term access can be allowed, subject to the provisions in these Regulations and without further system strengthening, this shall be allowed immediately after entering into commercial agreement.

(f) If, in the opinion of the nodal agency, further system strengthening is essential before providing the long-term access, the applicant may request the nodal agency to carry out the system studies and preliminary investigation for the purpose of cost estimates and completion schedule for system strengthening. The nodal agency shall carry out the studies immediately on receipt of request from the applicant and intimate results of the studies within 90 days of such receipt. The applicant shall reimburse the actual expenditure incurred by the nodal agency for system strengthening studies.

(g) If network augmentation is required for providing access to an applicant, the licensee shall carry out such augmentation within a reasonable period of time, provided that the STU/licensee has the ability to raise funds to finance such capital expenditure and the STU/licensee can recover the cost incurred within a reasonable period of time.

(h) Where a dedicated transmission system or distribution system for use for open access has been set up by the STU/licensee for exclusive use of an open access customer the STU/licensee may seek to recover such expediture.

(i) After the feasibility is established and prior to execution of agreement, a sum of Rs. 50,000 (Fifty thousand) shall be payable by the applicant to the nodal agency towards the open access agreement fee.

(j) After agreements have been entered into and copies furnished to SLDC, the SLDC shall inform the open access customer the date from which open access will be available, which will not be later than 3 days from the date of entering into the agreements.

(k) A long-term open access customer shall not relinquish or transfer his rights and obligations specified in the agreement, without prior approval of the Commission. The relinquishment or transfer of right and obligations shall be subject to payment of compensation, as may be determined by the Commission.

(2) Procedure for Short-term Open Access Customer

(a) An application for short-term open access shall be submitted by an open access customer (along with the agreement/commitment the supplier/details of terminal beneficiary etc.) to the SLDC. The application shall contain details, such as capacity needed, point(s) of injection, point(s) of drawal, duration of availing open access, peak load, average load, and other information as per Annexure-I to these Regulations, and such other additional information as may be specified by the SLDC. A customer intending to avail open access shall also submit a copy of his application to the distribution licensee of the area in which the direct/embedded customer is located.

(b) The application shall be accompanied by a non-refundable applications registration fee of Rs. 1000/- (One thousand), payable in the manner to be decided by the SLDC.

(c) SLDC shall examine the feasibility of the short-term open access in consultation with the concerned STU/transmission licensee and/or distribution licensee and process the application within time limit prescribed below.

Up to One day	12 hours
Up to one week	Two days
More than one week	Four days

(d) After the feasibility is established and prior to execution of agreement, a sum of Rs. 10000 (Ten thousand) shall be payable to the SLDC towards the open access agreement fee in the name and in the manner to be decided by the SLDC.

(e) The capacity reserved by a short-term open access customer is not transferable to others.

(f) For the purpose of registration/agreement fee and for all other purposes, renewal of short term open access agreements shall be treated in the same way as a new application.

(3) **Bidding process for open access**

(a) In case the capacity sought to be reserved by the customers, in accordance with Regulation 13(2) is more than the available capacity at that point of time, the SLDC shall invite bids from such customers.

(b) The floor price for bidding shall be the ST_RATE determined in accordance with regulation 11(1) and/or 11(2) of these regulations.

(c) The bidders shall quote price in terms of the floor price.

(d) No bidder shall be allowed to quote price more than five times of the floor price.

(e) Reservation of transmission and/or distribution capacity shall be made in decreasing order of the price quoted.

(f) In case of equal price quoted by two or more bidders, the reservation of transmission and/or distribution capacity shall be made pro rata to the transmission and/or distribution capacity sought to be reserved.

(g) The short-term customer getting reservation for capacity less than the capacity sought by him shall pay the charges quoted by him and the short-term customers getting transmission and/or distribution capacity reservation equal to the capacity sought to be reserved, shall pay the charges quoted by the last customer getting capacity reservation equal to the reservation of capacity sought by him.

(4) **Day ahead transactions :**

(a) In case of day ahead transaction advance payment of transmission charges, wheeling charges, operating charge and other charges specified in Regulation 11 shall not be insisted upon. These payments can be made within 3 working days of making of the application.

(b) A composite request for open access and scheduling shall be sent to the SLDC latest by 3.00 PM. The SLDC shall take steps to incorporate the request for open access in its schedules to be, if the request can be accommodated without causing congestion.

(c) A composite request for open access and scheduling to utilize surpluses known after issuance of the first Dispatch schedule by SLDC at 5.00 PM, must be submitted latest by 10.00 PM or preferably earlier. The State Load Dispatch Centre shall endeavou o incorporate the same in the revised Dispatch schedule to be issued, if the request can be accommodated without causing congestion.

(5) **Same Day transactions :**

(a) The advance payment of transmission charges, wheeling charges, operating charge and other charges specified in Regulation 11 shall not be insisted upon. These payments can be made within 3 working days of making of application.

(b) In the event of emergency, the open access customers may locate a sour of power to meet short-term emergency requirement on the same day and forward request for open access to the SLDC. The SLDC shall endeavour to accommodate such emergency requ as soon as and to the extent practically feasible.

(6) **Scheduling :**

(a) Once the seller and buyer have agreed upon the days dispatch schedule there shall be made no changes there after.

(b) Deviations from dispatch schedule or drawal, met out from the CSEB grid shall be on prevailing ABT and not on average consumption basis.

14. Open Access Agreements

(1) An open access customer shall enter into agreement with the STU/concerned licensees, generators, traders and others as applicable, and fulfil other conditions as laid down unde these Regulations.

(2) Bulk Power Transmission Agreement : A long term open access customer using transmission system shall enter into Bulk Power Transmission Agreement (BPTA) with the STU/transmission licensee for use of intra-state transmission system.

(3) Bulk Power Wheeling Agreement : A long-term open access customer using distribution system shall enter into Bulk Power Wheeling Agreement (BPWA) with the distribution licensee for use of distribution system.

(4) The electronic conveyance of acceptance of agreements shall be permitted.

(5) Within three days of furnishing the agreements, the STU/licensee/SLDC shall inform the date of commencement to the open access customer.

(6) The licensee shall intimate any new agreement entered into by an Open Access Customer, to the SLDC within seven days of formalization of the agreement in addition to displaying it on the website.

15. Non-Utilisation of reserved capacity by Open Access Customer

(1) In case an open access customer is unable to utilize, full or substantial part of the reserved capacity, he shall inform the nodal agency along with reasons for his inability to utilize the reserved capacity and may surrender the reserved capacity.

(2) Notwithstanding any thing contained in these regulations, the nodal agency may on its own reduce or cancel the reserved capacity of a open access customer if such a customer frequently underutilises the reserved capacity.

Provided that the reserved capacity shall not be reduced or cancelled under this clause without a prior notice to the open access customer whose reserved capacity is sought to be reduced or cancelled.

(3) The open access customer, who has surrendered the reserved capacity under clause (i) or whose reserved capacity has been reduced or cancelled under clause (ii), shall bear the transmission/wheeling charges and the operating charge based on the original reserved capacity for 30 day. in case of long term customer and seven days for short term customer or the period of reservation surrendered or reduced or cancelled, as the case may be, whichever period is shorter.

Note : for the purpose of this clause, the expression "operating charge" shall have the same meaning as assigned to it under Regulation 11.

(4) The transmission/distribution capacity becoming available as a result of surrender by the open access customer under regulation 15(1) or as a result of reduction or cancellation of the reserved capacity by the nodal agency under regulation 15(2) may be reserved for any other open access customer in accordance with these regulations.

16. Curtailment Priority

(1) When because of constraints or otherwise, it becomes necessary to curtail the service to open access customers, the short-term customers shall be curtailed first followed by the long-term customers. Provided that within a category, all users shall have same curtailment priority and shall be curtailed pro rata to the allotted transmission capacity in the case of long-term customers and the reserved transmission capacity in the case of short-term customers.

(2) The reservation of transmission capacity to the short-term customer may be reduced or cancelled by the SLDC, if Government of India/Government of Chhattisgarh allocates power from the Central Generating Station(s)/State Generating Station(s), as the case may be, in an area to a person in another area and such allocation, in the opinion of the SLDC, cannot otherwise be implemented due to congestion in the transmission link. If the SLDC decides to reduce or cancel transmission capacity reserved for a short-term customer under this clause, it shall, as soon as possible, intimate the short-term customer concerned of its decision to reduce or cancel transmission capacity.

17. Transmission Charges for short-term customers in case of curtailment

in case of curtailment of more than 50% of the reserved transmission capacity by the SLDC, on any particular day, on account of transmission constraints, the transmission charges for that day shall be payable by the short-term customers on pro rata basis in accordance with the transmission capacity actually provided.

18. Metering

(1) Open access customers shall provide ABT compatible special energy meters both at the point of injection and drawal as main meter, as specified by the Commission for such consumers based on voltage, point and period of supply and tariff category. The term "Meter" shall include current transformers, voltage/ potential transformers, wiring between them and meter box/panel. The concerned licensee shall certify the meters, metering equipments and the installation of the meter.

(2) The main meters shall always be maintained in good condition and shall be open for inspection by any person authorised by the nodal agency.

(3) The concerned licensee may provide check meters of the same specifications as the main meters.

(4) The main and check meters shall be periodically tested and calibrated by the concerned licensee in the presence of other party involved .The main and check meters shall be sealed by both parties. Defective meter shall be replaced immediately.

(5) Reading of main and check meters shall be taken periodically at appointed day and hour by an officer of the concerned licensee and the generator authorised for the purpose, and the customer or his representative, as the case may be. Meter reading shall be communicated to SLDC, the open access customer, and the generating company or trader, as the case may be, by the licensee, within 12 hours of meter reading.

(6) Readings of the check meters shall be considered when main meters are found to be defective or stopped. Both the main meter and check meter shall be tested for accuracy if the difference between the readings of main and check meters vis-a-vis main meter reading exceeds twice the percentage errors permissible for relevant accuracy class. The meter found defective shall be replaced immediately.

(7) If an open access customer requires the licensee to provide main meters he shall provide security to the licensee and shall pay for its rent. The meter shall be maintained by the licensee.

19. Energy Losses

(1) The open access customers shall bear energy losses of transmission system and distribution system as approved by the Commission in accordance with the regulation framed by the Commission, under section 61 of the Act, regarding terms and conditions for determination of tariff. The energy losses in the transmission and distribution systems shall be compensated by additional injection at the injection point(s).

(2) The information regarding average energy losses for the previous 12 months shall be posted on the websites of the SLDC and of the transmission and distribution licensees.

20. Preparation of Bills and Payment Thereof

(1) Bills against charges mentioned in regulation 11 shall be prepared by the STU/licensee concerned or the SLDC, as the case may be. The open access customers shall pay these bills directly to the entity raising such billls.

(2) Security Deposit for payment

Long-Term customers

Security deposit for transmission and wheeling charges, as may be applicable, shall be equal to the average of the last one month's bill amount (excluding the cost of power) on the basis of agreed schedule, which shall be maintained with the concerned licensee. Security deposit for SLDC charges equal to the 1/12 of yearly charges shall also be maintained with the SLDC. Such security should be deposited in the form of banker's cheque or draft.

Short-term customers

The transmission charges, wheeling charges, operating charge and other charges shall be paid to the concerned utility on monthly basis. Advance payment (security deposit) for one month or period of access, whichever period is shorter, shall be made within three working days of grant of access. Subsequent payments shall be made at least one day before beginning of the next month. If duration of access granted exceeds one month, the short-term customer shall provide an irrevocable back up letter of credit within seven days of commencement of open access.

(3) All payments shall be made either through cheque/demand draft payable at the location of the concerned utility or through electronic transfer.

(4) Disconnection of supply in default of payment : In the event of non payment of the dues, the licensee(s) shall have the right of disconnection of supply in accordance with section 56 of the Act.

(5) The collection and disbursement of the imbalance (unscheduled inter-change) charges and the reactive energy charges shall be governed by the procedure and methodology to be specified by the Commission from time to time.

21. Flexibility to Change Entry and Exit Points

(1) The long-term customers shall have the flexibility to change entry and/or exit points once a year subject to the results of system impact studies to be carried out by the STU/concerned licensees at the behest of such users, provided that the rights of existing users shall not be adversely affected. All expenses incurred by the licensees to carry out such studies shall be reimbursed in full by such users.

(2) The SLDC may allow a short-term customer to change the point or points of injection in case of any contingency arising out of outage of generation or the associated transmission, provided it is feasible.

(3) The reservation of transmission capacity on additional or new transmission corridor if any, consequent to change in point of injection allowed by the SLDC shall be processed in accordance with these regulations.

(4) Whe.. the application for change of point(s) of injection is granted by the SLDC, the transmission charges and service charge already paid shall be adjusted against the transmission charges and service charge becoming payable in accordance with the reserved transmission capacity as revised.

22. Miscellaneous

Communication facility

(1) The communication facilities to be provided by the customer will be difined by the SLDC on a case to case basis. The open access customer shall have to provide all such facilities.

(2) An open access customer shall have the facilities of telephone, fax and e-mail. The details of their communication systems shall be provided to the SLDC and the nodal agency.

Information system

(3) The STU/licensees and the SLDC shall be required to maintain the following information on their websites, in a separate web-page titled "Open Access information", separately for the short-term and long-term open access customers, which shall be updated from time to time as required, in order to ensure transparency, and carry out information exchange required to process open access applications :

(i) name of customer;

(ii) Period of the access granted (start date and end date);

(iii) Point(s) of injection;

(iv) Point(s) of drawal;

(v) Capacity of transmission's system/distribution system;

(vi) Open access capacity used;

(vii) Applicable rates;

(viii) Available transmission capacity;

(ix) Waiting list of applicants for intra state open access along with details;

(x) The degree of utilisation (over/under) in terms of MW vis-a-vis the capacity alloted (except, minor variations) shall be reported on a consistent basis; and

(xi) Floor rate in rupees per MW per day for the short-term customers (ST_RATE) for system of transmission licensees and distribution licensees situated within the State.

(4) A quarterly report based on the above information shall also be provided in the licensees website. Information regarding average energy loss in transmission system and distribution system for the previous 12 month should also be provided in such websites.

(5) If an open access customer or licensee so desires, the SLDC shall provide information to them on capacity available or desired, within a maximum period of fifteen days in case of a long-term open access customer and three days in case of short term open access customer.

(6) The SLDC shall provide details of the changes in demand (load behaviour) on its website and the SLDC along with the licensee shall develop the capacity for providing real time information about the system.

(7) The provision of information shall commence within a period of two months from the date these regulations become effective.

Coordination

(8) For the success of open access implementation, it is imperative that the licensees and the SLDC carry out information exchange among themselves on a daily basis to determine the level of open access transactions in their respective areas of supply, with emphasis on energy flows, load on transmission and distribution lines and equipments to determine system stability, available capacity, congestions in the networks, etc.

Grid Descipline and Quality of Supply

(9) The licensee must make all reasonable endeavours to ensure that the quality of supply standards as prescribed by the Commission under section 57 of the Act, the Indian Electricity Grid Code and the Chhattisgarh Electricity Grid Code are met in respect of all open access customers of its network, to the extent these quality parameters are applicable to such customers.

(10) The open access customer shall abide by the Indian Electricity Grid Code, the Chhattisgarh Electricity Grid Code and the instructions given from time to time by the STU and SLDC.

23. Redressal Machanism

(1) Any dispute or complaint relating to open access, such as unfair practice, delay, discrimination, lack of information or any other matter shall be reported to the nodal agency (STU/SLDC), which will investigate and endeavour to resolve the grievance.

(2) The Commission shall adjudicate upon unresolved dispute regarding the availability of transmission/distribution facility.

24. Powers to Remove Difficulties

(1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, direct the SLDC, generators, licensees and the open access customers; to take suitable action, not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

(2) The open access customers, generators, licensees and the SLDC may make an application to the Commission and seek suitable orders to (remove any difficulties that may arise in the implementation of these regulation.

25. Power to amend

The Commission may from time to time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these regulations after following the necessary procedure.

26. Savings

(1) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.

(2) Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter of class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

(3) Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

Note :— In case of any difference in the interpretation or understanding of the provisions of the Hindi version of these Regulations with those of the English version (the original version), the latter will prevail and in case of any despute in this regard, the decision of the Commission shall be final and binding.

By order of the Commission,
AJAY SRIVASTAVA, Deputy Secretary.

ANNEXURE-I

Suggested contents of Access Application [Refer to regulations 13(1) and 13(2)]

(a)

(i) Name and address of the applicant and of the persons for whom the applicant is acting in making the access application;

(ii) Nature of wheeling i.e., either it is a captive wheeling or third party sale.

(b) Type of network access required, whether long-term, or short-term;

(c) Point(s) of entry : Location, voltage level of inter-connection, and sent-out capacity at such point (In MW);

(d) Point(s) of Exit : Location, voltage level of connection, and capacity required at the such exit point (in MW);

As an example for the purpose of (c) and (d) above :

(i) The maximum generation capacity and the proposed declared sent out capacity for the user at each of the entry points (if any);

(ii) The expected maximum demand and the average demand of the plant connected or to be connected at each of the exit points (if any);

(e) The expected electricity production and consumption of the premises connected or to be connected at each of the entry and exit points;

(f) Total duration of the contract;

(g) Details of applicant's plant or load as required under the Grid Code or Distribution Code, as the case may be, as amended from time to time;

(h) Details of metering arrangements at the points of entry and exit as required under the Metering Code (part of the Grid Code or the Distribution Code, as the case may be) as amended from time to time;

(i) Details of critical load, essential services, etc., if any, in the applicant's premises;

(j) Information whether the recipient of power is already a consumer of distribution licensee of the area if so what shall be his status on permitting the open access.

Any other information reasonably required by the STU/licensee or SLDC.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.